न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 990 सन 2022

अनवान :–

1. शीशपाल पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अमरसिह पुत्र टीकुराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2. धर्मपाल पुत्र टीकूराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3. सन्तराम पुत्र टीकूराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
4. राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान ग्रीमण बैक शाखा दलपतपुरा तहसील नेाहर।
6. स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री विजय सिह कडवासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/08/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के पुराना खसरा न0 157 की 60 बीधा भूमि मुस्मी भागु वल्द रामजी जाति जाट साकिन जबरासर के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी भागू वल्द रामजी जाति जाट साकिन जबरासर ने अपनी उक्त खातेदारी भूमि पुराना खसरा न0 157 की 60 बीधा को जरिये बेयनामा दिनांक 24.05.1967 को वादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा , वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा फरोख्त कर दी थी तथा खरीद के वक्त से ही खसरा न0 157 की 60 बीधा भूमि पर वादी संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 2 , 3 के कब्जा प्राप्त कर और काश्त करते आ रहे है तथा अपनी खरीदशुद्वा भूमि के चारो और सीव डोल का निर्माण कर लिया तथा वादीगण एव प्रतिवादीगण संख्या 2 ,3 बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गये और रकमराज अदा करते आ रहे है

गत पैमाईश के दौराना रोही मौजा जबरासर के साबिका खसरा न0 157 को नये खसरा न0 605 व 619 में परिर्वतन कर दिया गया तथा वादीगण के प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के पुरी 60 बीधा कब्जा काश्त में चली आ रही थी किन्तु मौका पैमाईश के अधिकारीयों के द्वारा बिना जांच किये वाद भूमि का पर्चा लगान व पर्चा प्रमाणकंन जारी कर दिया और बिना जांच किये गये साबिका खसरा न0 157 की 60 बीधा के नये खसरा न0 605 ,619 में 49.10 बीधा भूमि दर्ज कर दी जो कतई ग[illegible] विधि विरूद्व है पैमाईश अधिकारीयों ने वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के द्वारा खरीद[illegible] की भूमि 60 बिना के स्थान पर 49.10 बीधा दर्ज करने का [illegible] फिर भी राजस्व रिका[illegible] गलत तौर से दर्ज कर दिया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने रोही मौजा जबरासर के साबिका खसरा न0 157 की 60 बीधा खरीद की थी जो हाल खसरा न0 605 ,619 की 49.10 बीधा में दर्ज कर दी गई किन्तु मौका पर 60 बीधा भूमि पर ही काबिज चले आ रहे है किन्तु राजस्व रिकार्ड में 10.10 बीधा भूमि कम दर्ज है राजस्व रिकार्ड में खरीदशुद्वा भूमि कम दर्ज रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है इसलिये वादीगण संशोधन करवाने के अधिकारी है।

वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या 1 से निवेदन किया की वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के द्वारा 60 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो उनके कब्जा काश्त में लगातार चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि कम दर्ज है जिसे संशोधन किया जाकर खरीदशुद्वा बैयनामा के अनुसार 60 बीधा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 6/8 के खसरा न0 605 की 8.8520हैक्‍ व खसरा न0 619 की 3.6670हैक्‍ में 2.6610हैक्‍ यानि 10.10 बीधा जोड कर कुल 12.5190हैक्‍ की जगह कुल 15.1800हैक्‍ दर्ज जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ,3 का हक वादीगण के अनुतोष में निहित होने के कारण तलब नही किया गया प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 न्यायालय में उपस्थित आये किन्तु किसी प्रकार का जबाब पेश नही किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर वादीगण के वाद का जबाब पेश किया कि वादीगण ने रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 6/8 के खसरा न0 605 की 8.8520हैक्‍ व खसरा न0 619 की 3.6670हैक्‍ में 2.6610हैक्‍ यानि 10.10 बीधा जोड कर कुल 12.5190हैक्‍ की जगह कुल 15.1800हैक्‍ दर्ज जाकर वादी संख्या 1 अकेला 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा गया है जिसे साबित करने का भार वादीगण पर वादीगण के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

जबाब शामिल मिसल किया जाकर साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में वादी स्वय ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किया एव दीपाराम पुत्र हरचन्द जाति जाट साकिन जबरासर एव प्रतापसिह पुत्र कुरडाराम जाति जाट साकिन रातुसर के मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश किये और साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य बन्द किये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की रोही मौजा जबरासर के साबिका खसरा न0 157 की 60 बीधा भूमि भागु वल्द रामजी की खातेदार कब्जा काश्त की भूमि थी जिसे जरिये बेयनामा दिनांक 24.05.1967 वादी संख्या 1 ने 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 2 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 तीनों बहिब 1/2 हिस्सा खरीद किया गया था जिसका कब्जा खरीद के समय प्राप्त कर लिया था और भूमि 60 बीधा काश्त करते आ रहे थे किन्तु पैमाईश के अधिकारीयों ने साबिका खसरा न0 157 की 60.00 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 605 ,619 में परिर्वतन किया जाकर 60 बीधा के स्थान पर 49.19 बीधा दर्ज कर दी जो कतई गलत एवं विधि विरूद्व है पैमाईश अधिकारियों को कोई अधिकार नही था कि वह वादीगण की खरीद की गई भूमि को कम करे पैमाईश में केवल पुराने खसरो को नये खसरों में परिर्वतन किया जाकर भूमि पैमुद की जानी थी अन्य किसी भी प्रकार की प्रविष्टी को हटाने या जोडने का को[illegible] वादीगण की खरीदशुद्वा 60 बीधा के स्थान पर 49.19 बीधा दर्ज कर दिया [illegible] आज भी 60 बीधा भूमि ही काश्त करते आ रहे है केवल जमाब[illegible] कम दर्ज है वादीगण अपने बेयनामा के अनुसार भूमि 60.00 बीधा अर्थात 15.1800है[illegible] भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पेरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की वादीगण अपने वाद को साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित करे साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों के सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया वर्तमान जमाबन्दी रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 6/8 के खसरा न0 605/8. 8520हैक व खसरा न0 619 की 3.6670हैक कुल 12.5190हैक भूमि वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के नाम दर्ज है।

वादीगण का कथन है उनके द्वारा रोही मोजा जबरासर के साबिका खसरा न0 157 की 60.00 बीधा भूमि भागु वल्द रामजी से खरीद की गई थी पैमाईश के दौरान नये खसरों में परिर्वतन कर खसरा न0 605 ,619 में पैमुद की 60 बीधा के स्थान पर 49.19 बीधा भूमि दर्ज की गई है जिसे बेयनामा अनुसार 60.00 बीधा दर्ज करवाना चाहते है एव अपने कथनों के समर्थन में भागु वल्द रामजी की जमाबन्दी बेयनामा एव मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया है

वादीगण का यह भी कथन है कि वर्तमान में उनके कब्जा काश्त में 60 बीधा भूमि है किन्तु जमाबन्दी में कम दर्ज है अपने कथनों के समर्थन में वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे 60 बीधा भूमि कब्जा काश्त में होना साबित हो सके

वादीगण ने साबिका खसरा न0 157 की 60 बीधा भूमि खरीद की गई थी जो बेयनामा से प्रमाणित है किन्तु मौके पर 60 बीधा भूमि का कब्जा प्राप्त किया गया था यह प्रमाणित नही होता।

मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा न0 157 का काफी बडा खसरा था पैमाईश में साबिका खसरा न0 157 के काफी नये खसरों मे पैमुद किया गया था जिसमे से वादीगण की भूमि हाल खसर न0 605 व 619 में पैमुद की गई थी भु0 प्रबन्ध अधिकारीयों के द्वारा मौका पैमाईश के उपरान्त ही कब्जा काश्त के अनुसार भूमि को जमाबन्दी में दर्ज किया गया है जिस पर किसी प्रकाश का सन्देह नही किया जा सकता है ना ही वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश किया गया है।

वादीगण ने कथन किया की 12.5190हैक के स्थान पर 15.1800हैक भूमि दर्ज की जावे किन्तु वादीगण ने यह व्यक्त नही किया की कौनसे खसरे में वादीगण के कब्जा काश्त में कितनी भूमि है जिसे संशोधन किया जाकर पूरी की जा सके मात्र अन्दाजा अंकित किया है कि 12.5190 के स्थान पर 15.1800हैक भूमि दर्ज की जावे उचित नही हैं।

वादीगण का दायित्व था की वह अपने कब्जा काश्त की भूमि की नियमानुसार पैमाईश करवातें जिससे वादीगण को ज्ञान होता की उनके कब्जा काश्त में कितनी भूमि है यदि भूमि कम दर्ज है तो वह वर्तमान में कौनसे खसरे में दर्ज हो गई है मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा न0 605 व 619 का रकबा पूर्ण है जो पैमाईश मौका जांच उपरान्त ही दर्ज किया गया है

वादी ने राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का मौका पर पैमाईश नही करवाई गई है जिससे यह नही कहा जा सकता की मौके पर भूमि कम है या ज्यादा है तथा वादी ने यह भी व्यक्त नही किया गया की यदि मौक पर भूमि कम दर्ज है तो किस काश्तकार के नाम में राजस्व रिकार्ड से अधिक भूमि दर्ज है वादी ने अपने वाद में मात्र कथन किये है किसी प्रकार के ठोस साक्ष्य पेश नही किये वादीगण ने अपने वाद में मात्र पूर्व व वर्तमान जमाबन्दी पेश की जो वादीगण के वाद को साबित करने के पर्याप्त नही है वादी का दायित्व था कि वह यह साक्ष्य पेश करता की वादी का साबिका खसरा न0 157 से हाल खसरा नम्बर में पैमुद करने पर प्राप्त हुई और कितनी भूमि कम है तथा साबिका खसरा न0 157 से हाल खसरा न 605 ,619 बना है और रकबा कम है किस काश्तकार के पास अधिक है तथा विधिवत पैमाईश करवाकर राजस्व रिकार्ड व मौका की स्थिति की रिपोर्ट पेश करता जो वादी ने पेश नही किये गये है बिना साक्ष्य के आधार पर वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में यह पेश नही किया की साबिका खसरा न0 157 से हाल खसरा न0 605 , 619 में मौका पर किस खसरा में कितनी भूमि कब्जा काश्त में है और किस खसरा में कितनी भूमि दर्ज करवाना चाहता है तथा कब्जा काश्त के सम्बध में पैमाईश रिपोर्ट या अन्य कोई साक्ष्य जिससे यह साबित हो की खसरा न0 605 में कितनी भूमि कब्जा में ओर खसरा न0 619 में कितनी भूमि कब्जा में है फिर भी भूमि कम रहती है तो वह किस काश्तकार व किस खसरा में अंधिक दर्ज हुई है मात्र कथनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है साथ ही वादीगण ने अपने वाद में यह भी अंकित नही किया की खसरा न0 605 में कितनी भूमि कम है और कितनी भूमि दर्ज की जानी है इसीप्रकार खसरा न0 619 में कितनी भूमि कम है और कितनी भूमि दर्ज की जानी है कुल भूमि अंकित की गई है जो न्यायोचित नही है अतः साक्ष्य सबुतों के अभाव में वादीगण का साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है ।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण वाद वादीगण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:46 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. शीशपाल पुत्र हरलाल जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. अमरसिह पुत्र टीकुराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

असल प्रतिवादी

2 धर्मपाल पुत्र टीकूराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर
3 सन्तराम पुत्र टीकूराम जाति जाट साकिन नगरासरी तहसील नोहर।
4 राजस्थान ग्रामीण बैक शाखा दलपतपुरा तहसील नोहर।
5 राजस्थान ग्रीमण बैक शाखा दलपतपुरा तहसील नोहर।
6 स्टेट बैक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 990 सन 2022 निर्णय दिनांक–06/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.12 18:45:46 IST
Reason: SelfAttested